पर्यावरण (ग्लोबल कामन्स)

पर्यावरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सम्बन्ध –

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र-राज्य अपने राष्ट्रीय हितों एवं शक्ति में वृद्धि के लिए निरन्तर संघर्षरत होता है, राष्ट्रीय हितों में वृद्धि का अभिप्राय राष्ट्रीय शक्ति में बढ़ोतरी है और राष्ट्रीय शक्ति को गतिशील बनाये रखने के लिए राज्य अपने आर्थिक संसाधनों का बेहतर सदुपयोग करते हैं। आर्थिक संसाधन (प्राकृतिक संसाधन) में वृद्धि के लिए औद्योगीकरण आवश्यक है जिससे आन्तरिक रूप में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावी हो सकती है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय हित का मार्मिक भाग है जिसके साथ कोई भी राष्ट्र-राज्य समझौता करने को तैयार नहीं होता।

यह दृष्टिकोण पर्यावरण समस्या से संबंधित है

पर्यावरणवाद की मान्यतानुसार पर्यावरणीय सन्तुलन बनाये रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करना आवश्यक है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियन्त्रित करना तथा ओजोन परत के क्षरण को रोकना तथा वायु व जल प्रदूषण को नियन्त्रित करना

45

Scanned with CamScanner

पर्यावरण संरक्षण के लिए अपरिहार्य है।

प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आर्थिक विकास की दर को नियन्त्रित करना होगा। क्योंकि दोनों का एक साथ चलना विरोधी प्रतीत होता है अतः 70 के दशक में क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए आर्थिक वृद्धि दर शून्य कर दी जानी चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास दर को बनाये रखते हुए पर्यावरणीय संरक्षण कठिन है, व्यावहारिक रूप में क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट को स्वीकार करना किसी राज्य के लिए सम्भव नहीं था क्योंकि आर्थिक वृद्धि दर को शून्य करने का तात्पर्य उद्योगों को बन्द करना है और उद्योग बन्द करने से घरेलू रोजगार की कटौती होगी और यदि राष्ट्र का आर्थिक विकास प्रभावित हुआ तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा इसी लिए राष्ट्र-राज्यों ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया।

पर्यावरणीय मान्यताओं के अनुसार पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता होती है जबकि आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों का मूल उद्देश्य तात्कालिक रूप में लाभ प्राप्त करना होता है अतः एडम स्मिथ जैसे परम्परागत

Scanned with CamScanner

अर्थशास्त्री के अनुसार मुक्त व्यापार पूरे समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है लेकिन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह सत्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि व्यापारिक लाभ तात्कालिक होते हैं जबकि पर्यावरणीय संरक्षण दीर्घकालिक उपायों के द्वारा सम्भव है किसी भी वस्तु के निर्माण में उसकी कीमत के निर्धारण में पर्यावरणीय क्षति को नहीं जोड़ा जाता.

उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति मूलतः विवेकशील है और व्यक्ति को स्वतन्त्र छोड़ देने से पूरे समाज का भला हो जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की अधिक से अधिक पूर्ति करना चाहता है लेकिन व्यक्ति के विवेकशील निर्णय सामाजिक दृष्टिकोण से भी विवेकशील हो यह आवश्यक नहीं है इसी लिए परम्परागत उदारवादी व्यक्तिवादी मान्यता पर्यावरणीय-संरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं हैं

सतत विकास की संकल्पना — (Sustainable Development)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सुरक्षा के अर्थ में परिवर्तन हो रहा है और आज सुरक्षा का आशय इको सिम्योरिटी या पर्यावरणीय सुरक्षा है क्योंकि 1960-70 के दशक से पर्यावरण को संरक्षित करने के महत्वपूर्ण उपाय किये गये और पर्यावरण की सुरक्षा

Scanned with CamScanner

को एक वैश्विक सरोकार का विषय माना गया। पर्यावरणीय सुरक्षा के साथ आर्थिक विकास भी यथावत् रहे दूसरे शब्दों में पर्यावरण सुरक्षा आर्थिक विकास की विरोधी नहीं अपितु दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं इसी मान्यता को धारणीय विकास की संज्ञा दी गयी। 1987 में पर्यावरण और विकास के विश्व आयोग के द्वारा ऑवर कॉमन फ्यूचर Our Common Future नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसे लोकप्रिय रूप में ब्रुटलैण्ड आयोग भी कहा गया। इस आयोग के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें पूर्णतया अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसके अनुसार विकास करते हुए प्राकृतिक संसाधनों को अक्षुण्य रखना है जिससे ये प्राकृतिक संसाधन आने वाली पीढ़ी को भी उसी अनुपात में प्राप्त हो सके।

पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक उपाय —

यथार्थवादियों की मान्यता के अनुसार राष्ट्र-राज्य की सुरक्षा का दायित्व प्रत्येक राज्यों का स्वयं का दायित्व है लेकिन पर्यावरणीय सुरक्षा के युग में मानवता को संरक्षित करने के लिए सामूहिक एवं साझे उपायों की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में

Scanned with CamScanner

पहला निर्णायक प्रयास 1972 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव पर्यावरण पर सम्मेलन (स्टॉकहोम) आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य पर्यावरण और जनसंख्या के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय समन्वित दृष्टिकोण का विकास करना था अतः इस सम्मेलन के द्वारा पर्यावरणीय राजनीति के विकास को महत्वपूर्ण गति प्राप्त हुई। सम्मेलन में कुछ नियमों संस्थाओं और कार्यक्रमों का निर्माण किया गया इसमें सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि मानवता की साझी विरासत की संकल्पना का निर्माण करना था जिसे हम ग्लोबल कॉमन्स की संज्ञा देते हैं और इसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का यह दायित्व है कि वह मानवता की साझी विरासत का सामूहिक प्रबन्ध करे उनका संरक्षण किया जाए तथा उनका प्रयोग सभी के हित के लिए किया जाए। साझी विरासत या ग्लोबल कॉमन्स का आशय राष्ट्र-राज्यों की सीमाओं के बाहर का समुद्री क्षेत्र है खुले आकाश, अण्टार्कटिका के ग्लेशियर, व्हेल मछली मानवता की साझी विरासत हैं और इनके संरक्षण के लिए प्रदूषण को नियन्त्रित करना होगा।

सम्मेलन में यह भी कहा गया कि प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्येक राज्यों का अधिकार है लेकिन

49

Scanned with CamScanner

राज्य का यह दायित्व है कि वह इन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करे कि पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न न हो. इस सम्मेलन में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अनेक नियमों का निर्माण हुआ और 6 मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गयी जिसमें

1. मानवीय आवास 2. प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्ध
3. प्रदूषण 4. पर्यावरण के शैक्षिक एवं सामाजिक पक्ष
5. पर्यावरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन 6. विकास और पर्यावरण

इसी सम्मेलन के द्वारा समुद्र में प्रदूषण, ओजोन परत के क्षरण की देखभाल के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक नियन्त्रक इकाइयों की स्थापना हुई और इसी सम्मेलन के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरणीय कार्यक्रम (UNEP) का निर्माण हुआ.

शीत युद्ध की विश्व राजनीति में स्टॉकहोम बैठक में सोवियत संघ सम्मिलित नहीं हुआ जबकि विकासशील देशों ने पर्यावरण प्रदूषण के लिए विकसित राष्ट्रों को उत्तरदायी माना.

पृथ्वी सम्मेलन 1992 (रियो सम्मेलन) –

पृथ्वी सम्मेलन के द्वारा सतत विकास को प्रभावी रूप में लागू करने का प्रयास किया गया. यह उल्लेखनीय

Scanned with CamScanner

बिन्दु है कि 1990 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात सोवियत संघ एवं अमरीका के मध्य वैचारिक मतभेद समाप्त हो गया लेकिन पर्यावरण को संरक्षित करने में दूसरी समस्या विकासशील एवं विकसित देशों के मध्य संघर्ष था क्योंकि रियो सम्मेलन के माध्यम से विकसित देशों ने वनों के विनाश को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वन संरक्षण सन्धि के निर्माण का समर्थन किया जबकि मलेशिया और ब्राज़ील जैसे देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि उनके अनुसार उनके वनों पर उनका अपना सम्प्रभु अधिकार है। रियो सम्मेलन में ही एजेण्डा-21 स्वीकार किया गया। यह मूलतः सतत विकास कार्यक्रम को कार्यरूप देने का या कार्यान्वित करने की संकल्पना है एजेण्डा-21 में जिन विषयों को सम्मिलित किया गया उनमें (1) शहरी विकास को सतत् रूप में बढ़ाना (2) वनों का क्षरण रोकना (3) जैव तकनीकी प्रबन्ध (4) विघटित पर्वतीय पारिस्थितिकी तन्त्र का निर्माण (5) कूड़े-करकट का प्रबन्ध.

एजेण्डा-21 में अनेक समूहों को शक्तिशाली करने पर बल दिया गया है जिसमें स्थानीय शासन, ट्रेड यूनियन, व्यापारिक और औद्योगिक घराने, वैज्ञानिक, महिलाएँ, युवा और किसान। इसी के साथ उपरोक्त कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय उपायों और संस्थात्मक पहलूओं का भी उल्लेख है विकासशील देशों की

पिछड़ी आर्थिक स्थिति को देखते हुए निर्णय किया गया कि एक पर्यावरणीय कोष का निर्माण होगा। जिसके द्वारा विकासशील देशों को एजेण्डा -21 लागू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी लेकिन व्यावहारिक रूप में इस पर्यावरणीय कोष में विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की। जब कि कोष के अन्तर्गत यह निर्णय किया गया था कि विकसित देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 % भाग कोष में योगदान देंगे।

पृथ्वी सम्मेलन में FCCC (Framework Convention on climate change) पर 153 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये और यह सन्धि 1994 से लागू है।

पृथ्वी सम्मेलन में ही जैव विविधता को बनाये रखने का सम्मेलन हुआ जो वर्तमान समय में लागू है और इसका मूल उद्देश्य विभिन्न प्रजातियों की रक्षा, पर्यावरणीय व्यवस्था का संरक्षण है जबकि FCCC का उद्देश्य पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में कमी लाना है और आर्थिक विकास इस प्रकार संचालित हो जिससे खाद्य उत्पादन की कमी न हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे।

पृथ्वी सम्मेलन में मरुस्थलीयकरण को

Scanned with CamScanner

रोकने के लिए भी समझौता हुआ। इसके पश्चात पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए और यह उल्लेखनीय है कि इसके पहले ही ओज़ोन परत की रक्षा के लिए मांट्रियल समझौता सम्पन्न हो चुका था। जिसका मूल उद्देश्य ओज़ोन परत की रक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय उपाय करना था। लेकिन मूल विवाद अभी क्योटो प्रोटोकाल के सम्बन्ध में है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियन्त्रित करने के लिए समझौता हुआ जिसके अनुसार यूरोपीय यूनियन, अमरीका, जापान जैसे विकासित देश 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर तक लाएँगे. यह समझौता बाध्यकारी रूप में लागू है और पिछले वर्ष दिस॰ 2007 बाली सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने पर पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। लेकिन इस समझौते को व्यावहारिक रूप में लागू करने में मूल समस्या अमरीका पैदा कर रहा है.

सतत् विकास को व्यावहारिक बनाने के लिए वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत् विकास पर सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें पुनः विभिन्न उपायों के द्वारा सतत् विकास की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित

Scanned with CamScanner

किया गया।

पर्यावरण संरक्षण विकसित बनाम विकासशील राष्ट्र -

पर्यावरण का संरक्षण समूची मानवता का साझा उद्देश्य है लेकिन इसमें सभी राष्ट्रों का योगदान एक समान नहीं हो सकता अतः इस साझी समस्या को हल करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र का योगदान भिन्न-2 होना चाहिए और यह योगदान उसकी क्षमता के अनुसार निर्धारित होना चाहिए। पर्यावरणीय प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है यदि तथ्यों पर विचार किया जाए तो पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए विकसित देश सर्वाधिक उत्तरदायी है क्योंकि अमरीका और यूरोप ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 42% योगदान देते हैं जबकि भारत व चीन केवल 10% उत्सर्जन करते हैं।

सेन्टर फॉर यूरोपियन पॉलिसी अध्ययन के अनुसार भारत यदि कार्बन डाइ आक्साइड के उत्सर्जन में 550 मिलियन टन की कटौती करे तो इसके लिए जिस नयी तकनीकी का निर्माण करना होगा उसमें अनुमानतः 25 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च होंगे इस लिए

Scanned with CamScanner

भारत जैसे विकासशील देशों के समक्ष मूल समस्या सामाजिक आर्थिक विकास की है और इसके लिए एक बड़ी आर्थिक राशि की आवश्यकता है अतः यह पर्यावरणीय संरक्षण की आर्थिक समस्या है जबकि पृथ्वी सम्मेलन में विकसित देशों ने यह स्वीकार किया था कि वे विकासशील देशों की आर्थिक सहायता करेंगे,

विकसित देशों के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण का मूल कारण विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या है जबकि विकासशील देशों के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण का मूल कारण विकसित देशों द्वारा किया गया औद्योगिक प्रदूषण है, विकासशील राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं लेकिन पर्यावरणीय समझौतों में विकासशील देशों के इस अधिकार में कटौती का प्रयत्न किया जा रहा है इसलिए विकासशील देशों के समक्ष गरीबी निवारण और पर्यावरणीय संरक्षण दोनों की चुनौती है,

विकसित देशों में आर्थिक रूप में सेवा प्रधान उद्योगों का विकास हुआ है जो तुलनात्मक रूप में कम प्रदूषणकारी हैं जबकि विकासशील देशों का आर्थिक उत्पादन मूलतः औद्योगिक क्षेत्रों में है जो तुलनात्मक रूप में ज्यादा प्रदूषणकारी है लेकिन यह तथ्य उल्लेखनीय

Scanned with CamScanner

है कि विकसित देशों के विकास की प्रक्रिया विकासशील देशों की भाँति ही अग्रसर हुई।

विकासशील देशों में विश्व जनसंख्या का योगदान लगभग 75% है अतः श्रम विकासशील देशों में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और विकसित देश विकासशील देशों की श्रम की इस बढ़त को प्रतिबान्धित करने के लिए पर्यावरणीय मानकों का प्रयोग करते हैं और विकासशील देशों की वस्तुओं को अपने बाजारों में पहुँचने से प्रतिबान्धित करते हैं जब कि वास्तविक रूप में विकसित देश पर्यावरणीय सन्धियों को क्रियान्वित नहीं करते।

पर्यावरणीय समस्या विश्व व्यापी है और निःसन्देह अनिर्विवाद रूप में आने वाले समय में यह अधिक गम्भीर होगी क्योंकि चीन और भारत जैसे देश तीव्र गति से आर्थिक प्रगति कर रहे हैं इस लिए पर्यावरणीय समस्या विकसित और विकासशील देशों में विभाजित नहीं की जा सकती इसको राष्ट्र-राज्य की सीमाओं में सीमित नहीं किया जा सकता परन्तु इसके समाधान के लिए विकसित देशों की क्षमता भी ज्यादा है और उनकी तकनीकी श्रेष्ठता भी बेहतर है इसलिए विकसित देशों का यह दायित्व है कि पर्यावरणीय संरक्षण के लिए वह पहल करें और विकासशील देशों को वह प्रोत्साहित सहायता भी प्रदान करें।

Scanned with CamScanner